

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)
जिला सुकमा (छ.ग.)

मुद्रण कार्य के लिए निविदा सूचना

क्रमांक/ 218 /स्था.निर्वा./न.पा./म.सू.मु./निविदा/2019 सुकमा, दिनांक 30/11/2019

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जिला सुकमा में होने वाले नगरीय निकायों (नगरपालिका) के मतपत्रों के मुद्रण के लिए मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

- (1) निविदा फार्म (जिसका की मूल्य 100/- है) कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित फार्म में भरी निविदाएं मेरे कार्यालय में दिनांक 30/11/2019 से दिनांक 07/12/2019 तक अपराह्न 3:00 बजे तक प्राप्त की जाएगी और उसी दिन दिनांक 07/12/2019 को अपराह्न: 4:00 बजे उपस्थित निविदाकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी।
- (2) मुद्रण के लिए कागज कलेक्टर द्वारा उपलब्ध कराए जायेंगे।
- (3) निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी कलेक्टर कार्यालय में उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।




कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
(नगरपालिका) जिला सुकमा (छ.ग.)
वास्ते सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन
आयोग, छत्तीसगढ़

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्थानीय निर्वाचन)
जिला सुकमा (छ.ग.)

फोन/फैक्स - 07864284014, E-mail - deo-sukama.cg@nic.in

क्रमांक/ 219 /स्था.निर्वा./न.पा./म.सू.मु./निविदा/2019 सुकमा, दिनांक 30/11/2019
प्रतिलिपि :-

- (1) सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- (2) आयुक्त बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
- (3) महाप्रबंधक, संवाद छत्तीसगढ़ नार्थ ब्लॉक सेक्टर 19 अटल नगर, नया रायपुर को सूचनार्थ। कृपया एक राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्र में परिशिष्ट एक प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- (4) कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) समस्त को सूचनार्थ
- (5) जिला जनसम्पर्क अधिकारी, सुकमा को सूचनार्थ। स्थानीय समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- (6) प्रभारी अधिकारी (जिला नाजराद शाखा) जिला कार्यालय सुकमा को सूचनार्थ। परिशिष्ट एक जिला कार्यालय के सूचना पटल में चस्पा करवाकर इस कार्यालय को अवगत करावें।
- (7) DIO एन.आई.सी. सुकमा को सूचनार्थ, कृपया जिला सुकमा के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
- (8) सर्व तहसीलदार, जिला सुकमा को सूचनार्थ। कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा करवाकर इस कार्यालय को अवगत करावे।
- (9) सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिला सुकमा को सूचनार्थ। कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा करवाकर इस कार्यालय को अवगत करावे।
- (10) मेसर्स की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
(नगरपालिका)
जिला सुकमा (छ.ग.)